FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

........रामचन्द्र........ बनाम ....भूमिधारी तहसीलदार........

...मुकदमा ....दावा........ नं. ...109... सन ...2019...

...र हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
27-9-2021	वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट ली जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 08-11-2021 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
08.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– नाथूसर में पेश हुई। वादी पक्षकार उपस्थित। उपस्थित वादी की पहचान श्रीमती उषा कँवर, सरपंच, ग्राम पंचायत नाथूसर ने की। वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादी पक्षकार के निवेदन पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को ग्राम पंचायत– नाथूसर में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। 8/11/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प नाथूसर	अ.नि. रामचन्द्र उषा कँवर सरपंच ग्राम पचायत नाथूसर प.स. श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:20 IST
Reason: SelfAttested